ालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ–बास, जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– श्री ओमप्रकाश सहारण आर.ए.एस. किशनगढबास

प्रार्थना पत्र सं.	प्रवेश तिथि	निर्णय तिथि
0/20	22.9.20	20-9-21

उनवान

1. शिम्भूदयाल पुत्र रामजीलाल जाति ब्राहाम्ण निवासी ग्राम इस्माईलपुर तहसील किशनगढबास जिला अलवर। :–प्राथी:–

बनाम

1. जहाजखां पुत्र श्री इब्राहिम
2. अबरार हुसैन पुत्र श्री जहाज खां जाति मेव निवासीयान ग्राम इस्माईलपुर तहसील किशनगढबास
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लैण्ड होल्डर किशनगढबास अलवर

:–अप्रार्थीगण:–

:– निर्णय प्रार्थना पत्र 212–

वकील वादीगण द्वारा दावा इश्तकराहक बाबत आराजी ख0न0 1781 रकबा 0.350 है0 चाहीए, 1782 रकबा 0.0300है, ढहरी1, 1783 रकबा 0.4800 है0 चाही ए, 1783 रकबा 0. 4800हे0, 1789 रकबा 0.2800हे0, चाही ए,1790/3609 रकबा 0.0600हे0 , चाहीए, 1791 रकबा 0.2800हे0 चाही ए, किता 06 कुल क्षेत्रफल 1.3400हे0 सालिम वाके ग्राम ईस्माईलपुर तहसील किशनगढबास जिला अलवर राजस्थान में स्थित है ।उक्त आराजी की सिचाई मिन वादी द्वारा अपने खरीदशुदा ख0न0 926 रकबा 0.0500हे0 गै0मु0 चाहा वाके ग्राम इस्माईलपुर तहसील किशनगढबास जिला अलवर से की जाती थी किन्तु कुआ सुख जाने के कारण अब कुआ की भुमि पर मिन वादी ने मकानात बनाकर अपने परिवार सहित रिहायश की हुई है। उक्त आराजी प्रार्थना पत्र में विवादित आराजी कहलावेगी मिन वादी द्वारा विवादित आराजी जरिये बयनामा हरनारयाण पुत्र श्री सेढुराम जाति ब्राहाम्ण निवासी ग्राम इस्माईलपुर तहसील किशनगढबास जिला अलवर की खरीद शुदा है, जिसका बयनामा मिन वादी के हक में हरनारायण द्वारा विधिवत तहरीर व तकमील कराकर उपंजीयक महोदय किशनगढबास के यहा पंजीबद्व कराया जाकर विधिवत मिन वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी का किया हुआ है। वास्ते मुलाहिजा नकल हाल जमाबन्दी सं0 2074 से 77 संलग्न प्रार्थना पत्र हैं

अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेंधाज्ञा पेंश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण/प्रतिवादिगण को जरियें अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)

Scanned with CamScanner

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया र्थी उपस्थित हुए तथा प्रार्थना पत्र अस्वीकार करते हुए जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया आराजी ख0न0 926 हाल रिकार्ड में गैरमुमकिन दर्ज है जिस पर वादी का कोई ार नही है, राजकीय सम्पति है जिस पर ग्राम पंचायंत द्वारा सार्वजनिक शौचालय निर्माण किया गया है। इसलिए भी वाद वादी काबिले खारिज है।

हमने वकील अभिभाषकगण की बहस सुनी गई । वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दाहराते हुए प्रार्थना पत्र में चाहे गये अनुतोष को ताफैसला दावा स्थाई किये जाने का निवेदन किया तथा वकील अप्रार्थी ने भी अपने जवाब में दर0 में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए। प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया आराजी ख0न0 1781 रकबा 0.350 है0 चाहीए, 1782 रकबा 0.0300है, ढहरी1, 1783 रकबा 0.4800 है0 चाही ए, 1783 रकबा 0.4800हे0, 1789 रकबा 0.2800हे0, चाही ए,1790/3609 रकबा 0.0600हे0 , चाहीए, 1791 रकबा 0.2800हे0 चाही ए, किता 06 कुल क्षेत्रफल 1.3400हे0 सालिम वाके ग्राम ईस्माईलपुर तहसील किशनगढबास जिला अलवर , राजस्थान में स्थित है ।उक्त आराजी की सिचाई मिन वादी द्वारा अपने खरीदशुदा ख0न0 926 रकबा 0.0500हे0 गै0मु0 चाह से भूमि सिंचित होती थी उक्त आराजी का भी बेचांन हरनारायण द्वारा प्रार्थी को किया गया था। खरीद के बाद से मुतदाविया भूमि पर मिन वादी ने अपने रिहायशी मकानात आदि बनाकर अपने परिवार सहित रिहायश की हुई हैं। जिससे सिद्व होता है कि ख0 स0 926 रकबा 0.0500हे0 गै0मु0 स्थित ग्राम ईस्माईपुर प्रार्थी का है।इसलिए प्रथम दृष्टया केस प्रार्थी के साबित है। तथा सुविधा का सन्तुलन बहक प्रार्थी हैं। यदि अप्रार्थी गण को निषेदाज्ञा से पाबन्द नंही किया जाता है तो प्रार्थी को अपूर्णिय क्षति होगी। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को मूल वाद के निर्णय तक स्थाईनिषेदाज्ञा से पाबद किया जाता है कि आराजी ख0न0 926 रकबा 0. 0500हे0 वाके ग्रम इस्माईलपुर से प्रार्थी को जबरन बेदखल ना करे।चाहा की भूमि के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा रूकावट पैदा ना करे। नाही चाह की भूमि में कोई शौचालय अथवा किसी प्रकरण्र का कच्चा पक्का निर्माण नही करे,नाही वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा रूकावट, मजाहमत , मदालखत पैदा करें, नाही वादी को उक्त वादी की आराजी से जबरन बेदखल करे, ना ही वादी द्वारा उक्त आराजी में बाई वो कुदरती पैदावार को नष्ट करें, नाही वादी को आराजी पंजीबद्वहेतु प्रस्तुत होने पर पंजीबद्व नही करे। मोका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाई रखी जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर सलग्न मूल वाद रहे। निणर्य खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास(अलवर)

Scanned with CamScanner